

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक-02.02.2022

संख्या :- 7/स्था0-801/2017 का. 515/ झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विद्या भूषण, प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग विभाग (उद्योग निदेशालय), झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक के लिए जल संसाधन विभाग के तहत मुख्य अभियन्ता कार्यालय, देवघर में प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-737/वि0 दिनांक-27.03.2018 की कंडिका-5(vi)(ख)(ii) के प्रावधानान्तर्गत श्री विद्या भूषण, प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग विभाग (उद्योग निदेशालय), झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

3. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

4. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अनल प्रतीक मिंज)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :- 7/स्था0-801/2017 का. 515/ राँची, दिनांक-02.02.2022

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।